राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक एफ. 3(77)नविवि/3/2010पार्ट-1 जयपुर, दिनांक :- 17 JAN 2012

आदेश

विषय :- राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवासों के आरक्षण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा समसंख्यक पत्र दिनांक 01.07.2011 को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत ग्रुप हाउसिंग योजना हेतु आवेदन किये जाने पर आवेदक पॉलिसी के प्रावधानानुसार आवश्यक ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवास/भूखण्ड प्रस्तावित योजना के अलावा स्वयं के स्वामित्व की भूमि पर अन्यत्र प्रस्तावित किये जाने की स्थिति में भवन मानचित्र निम्न शर्तों के साथ अनुज्ञेय किये जा सकेंगे :-

1. ग्रुप हाउसिंग के योजना मानचित्र का अनुमोदन तभी किया जावें, जब आवेदक ई. डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवास/भूखण्ड स्वयं के स्वामित्व की अनुमोदित भूमि पर चिन्हित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
2. ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवासों हेतु आरक्षित किये जाने वाला क्षेत्र प्रस्तावित योजना के निकटस्थ (In Proximity to the Orginal Plot) हो तथा प्रस्तावित भूमि के लिए नियमानुसार पहुंच मार्ग उपलब्ध हो।

(पी. के. देब)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/बीकानेर/आबू जिला सिरोही/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/ जैसलमेर।
8. उप शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव-प्रथम